

10.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील अनुपरिथत। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पत्रावली मे अपेक्षित कार्यवाही नही की जा रही। प्रार्थी अधिवक्ता को पूर्व मे कई अवसर दिये जा चुके है। पूर्व पेशी 26.02.2020 को कोष्ट पर अंतिम अवसर दिया गया था आज तक अमल नही किया गया। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपरिस्थ नही आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपरिस्थ नही आने के कारण वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़